

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) स.आ./चारा./09/3808-3834

जयपुर, दिनांक: 21-03-2009

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा,
डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरोही।

विषय :- अभाव संवत् 2065 में पशु शिविरों के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 05.02.2009 में लिए गये निर्णयानुसार उपरोक्त विषय में अभाव संवत् 2065 में आपके जिले में पशुओं के लिये पशु शिविर खोले जाने के संबंध में कृपया निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये:-

1. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाए साथ ही ऐसे शिविरों में, बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को रखे जाने की अनुमति प्रदान की जाए।
2. गत वर्षों में यह राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु शिविरों के माध्यम से पशुपालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशु पालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते हैं एवं सुबह शाम पशुओं को लेकर जाते हैं। अतः इस संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-
 - (i) किसी भी पशु शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।
 - (ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।
 - (iii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं को यदि पशुपालक द्वारा शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।
 - (iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 20/- रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 10/- रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु-आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 6/- रुपये बड़े पशु तथा 3/- रुपये प्रति छोटे पशु की दर से देय अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।
 - (vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी अन्य किसी संस्था द्वारा

निर्मित उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार की कटौति सुनिश्चित की जाए।

(vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्ट्रों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।

(viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के प्रतिस्थित अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा एक माह की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।

3. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:-

- (i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
- (ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
- (iii) संस्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा
- (iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो
- (v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
- (vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें
- (vii) चारा किस मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।
- (viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
- (ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
- (x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम
- (xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
- (xii) संस्था के प्रबन्धक, अध्यक्ष एवं सचिव का नाम
- (xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं
- (xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी


4. राजकीय अनुदान शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।

5. पशु शिविर चलाने वाली स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि सदस्य मनोनीत किया जाए एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक के दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को समय पर दी जाए तथा वित्तीय प्रकृति के महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जाए जिनमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो।

- 6 ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए जिसमें निम्न रजिस्ट्रों का संधारण कराया जाए :-
- क पशु चारा खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर
 ख पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर
 ग दैनिक वितरण रजिस्टर
 घ दैनिक आमद व खर्च की रोकड बही
- 7 ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 8 जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवीसंस्था को भेज दी जाए।
- 9 यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए


उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 7 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,


21/2/09
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव प्रथम/द्वितीय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
6. संभागीय आयुक्त, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।


शासन उप सचिव